न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 20/2014

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
वरदाराम पुत्र मालाजी जाति रेबारी निवासी मेडा उपरजा तहसील जालोर		1. दीवादेवी पत्नी रमेश कुमार जाति सरगरा निवासी ऊण तहसील आहोर 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री सिकन्दर अली, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री ललित खत्री, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 23.1.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण संख्या 100/2012 में सहायक कलक्टर जालोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2013 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि मौजा उपरला के खसरा नम्बर 56 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को नोटिस ही जारी नहीं किया। रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का मार्ग पूर्व से ही मौजूद है, इसके बावजूद सड़क से खसरा नम्बर 69 में सीधा जाने हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि को दो भागों में विभक्त करते हुए जैर अपील आदेश के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रास्ता प्रदान किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी प्रकार का रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को विधि विरूद्ध रूप से लाभ प्रदान कराने की नियत से वैकल्पिक मार्ग होते हुए भी रास्ता प्रदान किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सन्दर्भित धारा के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलाण्ट/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किया गया, उस पर मौतबिरान के

राजस्व अपील प्राधिकारी

हस्ताक्षर है। इसके पश्चात पर्याप्त तामील मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट द्वारा राशि जमा करवाई गई है, जो अपीलाण्ट को प्राप्त हो चुकी है। रेस्पोडेन्ट ने काफि राशि खर्च कर रास्ता ठीक करवाया है। अपीलाण्ट यह कथन करते है कि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, जबकि पटवारी एवं भू0अ0नि0 द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में यह अंकित किया कि मोके पर किसी प्रकार का रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि जब नोटिस तामील ही नहीं हुआ, तो अपीलाण्ट को यह कैसे ज्ञात हो सकता है, कि प्रकरण क्या था तथा पैसे किसने व कब जमा करवाये। अपीलाण्ट को किसी प्रकार की राशि प्राप्त नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलाण्ट को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा प्राकृतिक न्याय के अनुसार किसी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं प्रकरण को अधीनस्थ नयालय को रिमाण्ड करावें।

बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम मेडा उपरला के खसरा नम्बर 69 रकबा 1.41 हैक्टेयर में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 54 की भूमि में से 30 फुट चौडा रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने के कारण तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करते हुए दिनांक 02.05.2013 को आदेश पारित करते हुए खसरा नम्बर 56 रकबा 2.14 हेक्टेयर में से 160 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रदान किए जाने की अनुमति प्रदान करते हुए राशि 4320/– रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार जालोर के नाम न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं तहसीलदार जालोर उक्त राशि वरदाराम को प्रदान करने के आदेश पारित करते हुए 160 वर्गमीटर भूमि राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट द्वारा लेने से इन्कार किया गया है, जिस पर दो मोतबिरान के हस्ताक्षर है, जिनके रूबरू नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किया गया है। जिसे पर्याप्त तामील मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में यह स्पष्ट प्रावधान है कि " (1) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है और (2)अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।" प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग का अभाव तथा मार्ग की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध हुई है, जिसके कारण प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को रास्ता प्रदान किया जाना कानूनन आवश्यक मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही पाई जाती है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 100/2012 में सहायक कलक्टर जालोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2013 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली